



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14062021-227554
CG-DL-W-14062021-227554

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 12—जून 18, 2021 (ज्येष्ठ 22, 1943)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12—JUNE 18, 2021 (JYAISTHA 22, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 23 मार्च 2021

सं. ओआर.एचजीजी.जीओवी. 668 / 12.10.000/ 2020-21—भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53(ए) के साथ पठित धारा 56 के खंड (ज़ेडजे) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और ऐसा किए जाने की आवश्यकता से संतुष्ट होने पर, यह घोषणा करता है कि अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (बी) की मद (iii) और उप-धारा (2) धारा 10 (ए) की उप-धारा (2) के खंड (ए), धारा 10(बी) की उप-धारा (1ए) और धारा 35(बी) की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधान, उन प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी जमा राशि के रूप में देयता पिछले वर्ष के लेखापरीक्षाकृत तुलन-पत्र के अनुसार ₹100 करोड़ से कम हो और उन प्राथमिक सहकारी बैंकों पर भी लागू नहीं होंगे जो वेतन अर्जक सहकारी बैंक हों।

स्पष्टीकरण : “वेतन अर्जक सहकारी बैंक” से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तदनुसार मान्यता प्रदत्त ऐसे प्राथमिक सहकारी बैंक से है जिसकी सदस्यता उन व्यक्तियों तक सीमित हो जो किसी एक संस्थान अथवा संस्थानों के एक समूह में कार्यरत हैं या थे।

जयंत कुमार दाश
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 23rd March 2021

No. DoR.HGG.GOV. 668/12.10.000/2020-21—In exercise of the powers conferred by section 53A read with clause(zj) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Reserve Bank, being satisfied that it is necessary so to do, hereby declares that the provisions of item (iii) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 10, clause (a) of sub-section (2) of section 10A, sub-section (1A) of section 10B and clause (b) of sub-section (1) of section 35B of that Act shall not apply to a primary co-operative bank having liabilities in the form of deposits amounting to less than ₹100 crores as per preceding year's audited balance sheet and to a primary co-operative bank, which is a Salary Earners' Co-operative Bank.

Explanation: "Salary Earners' Co-operative Bank" shall mean a primary co-operative bank whose membership is confined to persons who are or were employed in an institution or a group of institutions and recognised as such by the Reserve Bank.

JAYANT KUMAR DASH
Executive Director